



राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

National Water Development Agency

Ministry of Jal Shakti, Government of India

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)



फ़ाइल सं. प्रशासन-12026/1/2021/ 295 - 342

दिनांक: 07 फरवरी, 2022

कार्यालय आदेश संख्या 46 /2022

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरांत निम्नलिखित कनिष्ठ अभियंताओं को सहायक अभियंता के पद पर पे मैट्रिक्स के लेवल-7 (रु. 44900-142400) में नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है:-

क्रमांक संख्या	अधिकारी का नाम	वर्तमान पोस्टिंग	पोस्ट किया गया
1.	श्री शिव कांत पांडे	मुख्य अभियंता कार्यालय (उत्तर), लखनऊ	मुख्य अभियंता कार्यालय (उत्तर), लखनऊ
2.	श्री राहुल सक्सेना	मुख्य अभियंता कार्यालय (उत्तर), लखनऊ	वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के ग्रहणाधिकार (on lien) पर हैं।
3.	श्री अंशुल जैन	मुख्यालय, नई दिल्ली	आई.डी., झांसी
4.	श्री डिंडी राम मोहना राव	आई.डी., -II, नासिक	आई.डी., -II, नासिक
5.	श्री बी.डी. शर्मा	आई. सी., ग्वालियर	आई. सी., ग्वालियर
6.	श्रीमती चौ. विजयलक्ष्मी	मुख्य अभियंता कार्यालय (दक्षिण), हैदराबाद	मुख्य अभियंता कार्यालय (दक्षिण), हैदराबाद
7.	श्री धिम्मर मनोज कुमार धनसुख भाई	आई.डी., वलसाड	मुख्यालय, नई दिल्ली
8.	श्री मुख्तार-उल-हक	मुख्यालय, नई दिल्ली	मुख्यालय, नई दिल्ली
9.	श्री एस. गुरुराजन	आई.डी., चेन्नई	आई.डी., चेन्नई
10.	श्री एस मोहम्मद इस्माइल सिथिक	आई.डी., चेन्नई	आई.डी., चेन्नई
11.	श्री टी. महेंद्रन	आई.डी., चेन्नई	आई.डी., नागपुर
12.	श्री अजय बिस्वास	आई. एस. डी., रांची,	आई. एस. डी., रांची,
13.	श्री ललित कुमार सियानिया	मुख्यालय, नई दिल्ली	मुख्यालय, नई दिल्ली

2. इन अधिकारियों की नियमित पदोन्नति उनके संबंधित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। यदि वे एम. ए. सी. पी योजना के तहत लेवल -7 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, तो उनकी पदोन्नति पर, वे एफ. आर 22 (आई) (ए) (1) के तहत वेतन निर्धारण के हकदार नहीं होंगे।

3. पदोन्नति निम्नलिखित अदालती मामलों के परिणाम के अधीन है:-

- (i) The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgement and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab and Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court.




-: 2 :-

- (ii) The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble High Court judgement dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Ors Vs. UOI & Ors. and other related court cases in any contempt court.
- (iii) Any other court cases in a connected matter.

4. इसके अतिरिक्त, सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निम्नलिखित सहायक अभियंता को जनहित में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाता है :-

क्रमांक संख्या	अधिकारी का नाम	वर्तमान पोस्टिंग	पोस्ट किया गया
1.	श्री के.एच. रहमान	मुख्यालय, नई दिल्ली	आई. एस. डी., जयपुर
2.	श्री राजीव कनौजिया	मुख्य अभियंता कार्यालय (उत्तर), लखनऊ	आई.डी., पटना
3.	श्री सुभाष चौ. पौड़ी	आई.डी., कोलकाता	आई.डी., भुवनेश्वर


(चिरब्रत सरकार)
निदेशक (प्रशासन)

प्रति :-

1. मुख्य अभियंता (उत्तर/दक्षिण), एनडब्ल्यूडीए, लखनऊ/हैदराबाद।
2. निदेशक (तकनीकी/एमडीयू/वित्त), एनडब्ल्यूडीए, नई दिल्ली।
3. सभी अधीक्षण अभियंता, एनडब्ल्यूडीए,
4. कार्यकारी अभियंता, आईडी, एनडब्ल्यूडीए, हैदराबाद/चेन्नई//लखनऊ/वलसाड/कोलकाता/नासिक/ग्वालियर/ नागपुर/ झांसी
5. लेखा अधिकारी, एनडब्ल्यूडीए, नई दिल्ली।
6. संबंधित अधिकारी
7. सहायक निदेशक (राजभाषा), एनडब्ल्यूडीए, नई दिल्ली
8. सतर्कता अनुभाग, एनडब्ल्यूडीए, साकेत, नई दिल्ली।
9. वेब मास्टर, मल्टी डिप्लिनरी यूनिट, साकेत, एनडब्ल्यूडीए, नई दिल्ली।

सूचना के लिए प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव - महानिदेशक, एनडब्ल्यूडीए, नई दिल्ली
2. निजी सचिव - मुख्य अभियंता (मुख्यालय), एनडब्ल्यूडीए, नई दिल्ली।